

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10]	नई दिल्ली, मार्च 20—मार्च 26, 2016, शनिवार/फाल्गुन 30, 1937—चैत्र 6, 1938
No. 10]	NEW DELHI, MARCH 20—MARCH 26, 2016, SATURDAY/PHALGUNA 30, 1937— CHAITRA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फराश) भर्ती नियम, 1976, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (जिल्दसाज) भर्ती नियम 2000, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (दफ्तरी) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चपरासी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चौकीदार) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सफाईवाला) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, सफाईवाला, फराश और जिल्दसाज के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	251* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित,	वेतन बैंड-1; (5200-20200/-) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

					टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण*। *पद की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार, यदि कोई हो, अंगीकृत किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
10	11
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का ग्रेड वेतन ₹ 6600/- पाने वाला एक अधिकारी सदस्य	
3. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सचिवीय काडर का ग्रेड वेतन रुपये 4800/- पाने वाला एक अधिकारी सदस्य	

[फा.सं. 23/02/2010-केभूजबो]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATIONNew Delhi, the 17th March, 2016

G.S.R.50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, (Farash) Recruitment Rules, 1976, the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board (Binder) Recruitment Rules, 2000, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Daftry) Group 'D' Post Recruitment Rules, 2007, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Peon) Group-C Post Recruitment Rules, 2010, the Central Ground Water Board, (Chowkidar) Group'C' Post Recruitment Rules, 2010, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Safaiwala) Group-C post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Daftry, Peon, Chowkidar, Safaiwala, Farash and Binder in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, **Multi Tasking Staff**, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the scale of pay.— The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	251*(2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C' Non-Gazetted,	Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.1800/-	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation from a recognized Board Or Industrial Training Institute pass* *May be adopted as per special requirement of the post, if any.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; (ii) An Officer of Central Ground	Not applicable.

		Water Board with Grade Pay of Rs.6600/- – Member; and (iii) An Officer of Ministerial Cadre of Central Ground Water Board with Grade Pay of Rs.4800/- – Member.	
--	--	--	--

[F.No.23/02/2010-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक, केयर टेकर और प्रधान पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक, केयरटेकर और प्रधान पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सफाई अधीक्षक	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1; 5200- 20200+ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में, वेतन बैंड -1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में, ऐसे केयरटेकर जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण-1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण-2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, 2. नई दिल्ली – अध्यक्ष 3. संबंधित विभाग का प्रधान, सफाई विभाग, डा. राम मनोहर 4. लोहिया अस्पताल – सदस्य 5. उप निदेशक प्रशासन, डा. राम मनोहर लोहिया 6. अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 7. निदेशक या उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), 8. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. केयरटेकर	06* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सेवकों लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी जो अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक या स्वास्थ्य निरीक्षक या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक या स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक में डिप्लोमा। टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह	आयु नहीं अर्हता नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
---	--	--

(10)	(11)
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में, वेतन बैंड -1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे प्रधान पर्यवेक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण-1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण-2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष - संबंधित विभाग का प्रधान, सफाई विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य - उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली – सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष - संबंधित विभाग का प्रधान, सफाई विभाग डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य - उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. प्रधान पर्यवेक्षक	02* (2016) *कार्यभार	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित,	वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु. +	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(अननुसचिवीय)	ग्रेड वेतन 1900 रु.	टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
-------------------------------------	--------------	---------------------	---

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समतुल्य ; (ii) कम से कम पचास बिस्तर वाले किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में सफाई से संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक में डिप्लोमा टिप्पण-1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु : नहीं। शैक्षिक अर्हता : हां	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में, वेतन बैंड -1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे पर्यवेक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण-1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण-2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली — अध्यक्ष - संबंधित विभाग का प्रधान, सफाई विभाग, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली — सदस्य - उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली — सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली — अध्यक्ष - संबंधित विभाग का प्रधान, सफाई विभाग डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली — सदस्य - उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/30/2003-आर आर(एम एच II) पीटी-I]

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sanitary Superintendent, Caretaker and Head Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Sanitary Superintendent, Caretaker and Head Supervisor (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .— The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..— The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person .-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sanitary Superintendent	02* (2015) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800	Non selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption by grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Caretaker in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1 st January, 2006 or /the date from which the

(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years (relaxable for departmental candidates up to 40 in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and	Essential : (i)12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Diploma in Sanitary Inspector or Health Inspector or Sanitary Health Inspector or Health Sanitary Inspector from a recognised Institute. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff	Age : No Qualification No

Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	90 per cent by Direct recruitment 10 per cent promotion	Head Supervisor in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Chairman Head of the Department Concerned, Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	Not applicable.

Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services	Member
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Member
Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	Chairman
Head of the Department Concerned, Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital	Member
Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services	Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Supervisor	02* (2015) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non Ministerial	Pay band 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900	Non selection

(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years. (relaxable for departmental candidates up to 40 in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) 12th class or equivalent from a recognised Board or University; (ii) One year experience in dealing with sanitation in a recognised hospital having minimum fifty beds. Desirable: Diploma in Sanitary Inspector from a recognised Institute Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: No Education Qualification : Yes

(9)	(10)	(11)
Two years	By promotion failing which by direct recruitment	Supervisor in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi in the pay band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Chairman Head of the Department Concerned, Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Member Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services Member Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Chairman Head of the Department Concerned, Sanitary Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Member Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/30/2003-RR (MH-II) Pt. I]

SANJAY PANT, Under Secy.